UPMZ010080742026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2839 सन 2026

इमरान सैफी पुत्र स्व. शमशाद सैफी
निवासी मेन रोड, कस्बा व थाना बुढाना
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—101 सन 2026
धारा—318 (4), 351 (3)
भारतीय न्याय संहिता
थाना—तितावी
जनपद—मुजफ्फरनगर

17.07.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से उक्त मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी विलंब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्राथमिकी में घटना का समय व स्थान दर्शित नहीं किया किया गया है। यह भी कहा गया है कि वादी मुकदमा व आवेदक/अभियुक्त की आपस में नजदीकी रिश्तेदारी है। जरूरत पडने पर एक दूसरे से उधार का लेन देन होता रहता है। इसी कारण सह अभियुक्त इमरान ने दिनांक 06.11.2025 को विदेश में रहने वाले उमर खां व अजीम सैफी के कहे अनुसार उनकी कंपनी की आईडी पर 4991+4992 यूएसडीटी द्वारा भिजवाये थे जिनकी वैल्यू भारतीय मुद्रा में 9,08,700/— होती है । ये रूपये सह अभियुक्त इमरान ने उमर खां व अजीम सैफी के कहने पर इसलिये भिजवाये थे ताकि वे विदेश में अपना कारोबार बढा सके। उक्त रूपयों से संबंधित बैंक स्टेटमेंट सह अभियुक्त इमरान के पास हैं। अजीम सैफी, उमर खान तथा उनके परिजन जो हिन्दुस्तान मे रहते हैं ने वायदा किया था कि दो माह बाद ही वे उनके रूपये वापिस कर दें लेकिन उन्होने कोई भी रूपया आज तक वापिस नहीं किया है। इसके पश्चात अजीम सैफी व उमर खान हिन्दुस्तान वापिस आ गये। वे सह अभियुक्त इमरान के के रूपयों की वापसी के संबंध में लगातार झूठे वायदे करते रहे।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.17 17:41:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त अपराध में नजदीकी रिश्तेदारी के कारण तथा सह अभियुक्त इमरान के रूपयों की वापसी का तकाजा वादी मुकदमा से करने के कारण रंजिशन झूठा फंसाया गया है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि उमर खां व अजीम सैफी दिनांक 06.09.2025 में थाईलैंड गये थे और उन्होंने वहां जाकर अपनी मर्जी से किसी ऐजेन्ट से बात की और काम करने लगे थे। काम में मन न लगने के कारण वापिस आ गये होंगे या फिर उनके आने का क्या कारण रहा होगा उसके बारे में आवेदक/अभियुक्त को कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं है। यह भी कहा गया है कि वादी मुकदमा ने आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त इमरान के खाते में कभी भी 8500/– रूपये व 7,75,500/– रूपये नहीं भिजवाये हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि ऑन लाईन रिकॉड व विडियो के साथ कुल 15,10,000/– रूपये आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त इंतजार को नहीं दिये हैं क्योकि वादी मुकदमा के पास इसके संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। प्राथमिकी तथा वादी व गवाहान के धारा 180 बीएनएसएस के बयानों में विरोधाभास है।

अंत में कहा गया है कि उमर खां व अजीम सैफी के साथ विदेश में जाने के बाद कोई धोखाधडी हुई होगी तो उसका आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह सम्मानित व्यक्ति है। उसके फरार होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, विड्रा डिटेल, इमरान द्वारा डीजीपी लखनउ, थानाध्यक्ष, थाना तितावी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री को भेजे गये प्रार्थना पत्रों की प्रतियां, व्हाटसअप चैट की प्रति,

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा योजनाबद्व तरीके से घटना कारित करायी गयी है। उसके विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। समर्थन में वादी मुकदमा की ओर से काउन्टर शपथ पत्र मय संलग्नक एवं वाद पत्र शकील अहमद बनाम श्रीमती जाहिदा सैफी तथा वाद पत्र ताहिर हसन बनाम श्रीमती जाहिदा सैफी की प्रतियां दाखिल की गयी हैं।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा छम्मन सिंह द्वारा घटना का दिनांक व समय अंकित न करते हुए दिनांक 22.04.2026 को समय 22:04 बजे थाना तितावी पर इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि प्रार्थीगण छम्मन ख पुत्र हमीद खाँ व मौहम्मद नसीम पुत्र शब्बीर सैफी ग्राम व पोस्ट बघरा थाना तितावी तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले है। प्रार्थीगण से ग्राम बघरा मौहल्ला काजियान का रहने वाला इन्तेजार सैफी पुत्र स्व0 सईद सैफी कहने लगा कि मै तुम्हारे पुत्र उमर खां पुत्र छम्मन खां व अजीम सैफी पुत्र मौहम्मद नसीम को थाईलेन्ड देश में कम्पूयटर कार्य में लगवा दूंगा और 800 डोलर प्रतिमाह मिलेंगे। मैने अब तक बहुत सारे लडको को भेज दिया है। सभी लडके बहुत अच्छी इन्कम कर रहे है। प्रार्थीगण से इन्तेजार सैफी ने कहा कि मेरा रिश्तेदार इमरान सैफी पुत्र स्व शमशाद सैफी कस्बा व थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रर्ड ऐजेन्ट है और मैं उसी के माध्यम से लोगों को विदेश भिजवाता हूँ। जिसका ऑफिस कस्बा बुढाना में खतौली बाईपास तिराहे पर मौजूद है। इस बात पर प्रार्थीगण ने विश्वास करके कि इन्तेजार सैफी हमारे ग्राम बघरा का है। इन्तेजार सैफी ने प्रार्थीगण से कहा कि उमर खाँ पुत्र छम्मन खां व अजीम सैफी पुत्र मौहम्मद नसीम के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 हजार रूपये इमरान के खाते में ऑनलाईन नम्बर 8791406766 पर ट्रान्सफर करा दो प्रार्थीगण ने 21.07.2025 को ट्रान्सफर करा दिये। प्रार्थीगण को इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी ने बघरा आकर बताया कि दो लाख पैंतालिस हजार रूपये और देने होंगे। प्रार्थीगण ने 60 हजार रूपये ऑनलाईन व नकद रूबरू गवाहान एक लाख 85 हजार रूपये नसीम सैफी के घर पर अली खाँ व शाहनवाज पुत्र इस्लाम फहीम, कामिल अन्सारी आदि के सामने इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी को दिये। इमरान सैफी प्रार्थीगण व दोनों पुत्र उमर ख व अजीम सैफी को अपने साथ 19.08.2025 को टूरिस्ट वीजा टिकट कराकर थाईलेन्ड के लिए दिल्ली एयरपोर्ट गया इमरान सैफी के साथ विदेश जाने वाले दो और व्यक्ति थे और जाने से पहले इमरान सैफी ने प्रार्थीगण के पुत्र को समझाया कि थाईलेन्ड मे हमारे आदमी मिलेंगे। और तुम दोनो को कम्पनी में ले जायेंगे। जैसे ही प्रार्थीगण के पुत्र दिल्ली एयरपोर्ट बोर्ड्रिंग पास काउनटर पर पहुंचे तो उन्होने प्रार्थीगण के पुत्र से पूछा कि कहा पर जा रहे हो प्रार्थीगण के पुत्र ने बताया कि थाईलेन्ड जाना है। उन्होने कहा कि आप थाईलेन्ड नही जा सकते क्योकि टिकट कम्बोडिया के है। उसके बाद प्रार्थीगण के पुत्र दिनांक 20.08.2025 को घर पर वापस आ गये। प्रार्थीगण ने जब इस बाबत इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी से कहा तो दोनों ने कहा कि तुम्हे कम्बोडिया ही जाना था तुम्हें हमारे कम्पनी के आदमी कार से बार्डर पार कराकर थाईलेन्ड ले जाते अब कि बार

दोबारा टिकट डायरेक्ट थाईलेन्ड के करा देंगे। दिनांक 06.09.2025 को इन्तेजार सैफी इमरान सैफी ने प्रार्थीगण के पुत्र उमर ख व अजीम सैफी को थाईलेन्ड की राजधानी बैंकोक के टिकट करा दिये। प्रार्थीगण के पुत्र उमर खां व अजीम सैफी बैंकॉक पहुंच गये। इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी के कहे अनुसार हवाई अडडे के बहार इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी के भेजे हुए पाकिस्तानी व्यक्ति मिले। प्रार्थीगण के पुत्र उमर ख व अजीम सैफी को 800 किमी0 दूर गाडी से लेकर उतरे और वहा पर होटल में रूके आधा घन्टे बाद दुसरी कार मे पाकिस्तानी लोग पहाडो में ले गये बडी बडी 5 पानी की नदिया पार करायी। जब अजीम सैफी पुत्र नसीम सैफी पहाडो में चलता चलता थक गया तो पाकिस्तानियों ने अजीम सैफी के पेर मे बन्दूक की बट मारकर बाये पेर के घुटने का लीगामेन्ट तोड दिया बाये पेर का टूटा हुआ लीगामेन्ट का एमआर आई व डाक्टरी पर्चे मोजूद है। उसके बाद प्रार्थीगण के पुत्र उमर ख व अजीम सैफी को जंगल मे एक झोपडी में लगभग 25–30 आदमी हथियार बंद पाकिस्तानी/चायनीज मिले जिनके पास बन्दूक, राईफल, पिस्टल व धारदार चाकू थे। आते ही पाकिस्तानियो ने प्रार्थीगण के पुत्र उमर खाँ व अजीम सैफी को म्यमार मे प्रसिद्ध स्केम सैन्टर निकट केके पार्क मे लभगभग 2 माह तक रखा। प्रार्थीगण के पुत्र उमर खाँ व अजीम सैफी उनको देखकर डर गये थे प्रार्थीगण के पुत्र उमर ख व अजीम सैफी ने मना किया तो पाकिस्तानियो ने प्रार्थीगण के पुत्र उमर ख व अजीम सैफी के साथ बन्दूक की बटो से मारपीट की तथा तरह तरह की यातनाए दी, तथा बंन्धक बनाकर भूखा प्यासा रखा था और कम्पनी में ले जाकर छोड दिया। प्रार्थीगण के पुत्र उमर खां व अजीम सैफी ने कम्पनी वालो से कहा कि हमे अपने भारत में जाना है। वहां पर पाकिस्तानियी व्यक्तियो ने कहा कि इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी ने हमारे से मोटी रकम लेकर तुम्हे बेच दिया है। अब तुम्हें यहा पर जो हम कहेंगे वो ही करना पड़ेगा यह बात फोन पर उमर खां ने अपने बहनोई तालिब को फोन व्हाटसअप काल पर बतायी। उसके बाद प्रार्थीगण के पुत्र उमर ख व अजीम सैफी को पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर तुम्हे अपने वतन भारत में आना है तो तुम्हे हमारे आदमी इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी से बात करनी होगी अगर इन्तेजार सैफी आदि कहेंगे तो तुम भारत जा सकोगे वरना नही अगर ज्यादा चालाकी दिखायी तो गोली मार देंगे। उसके बाद प्रार्थीगण इन्तेजार सैफी के घर पर व इमरान सैफी के आफिस बुढाना पर मोजिज लोगो के साथ गये वहा पर इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी ने तुम्हारे लडके वापिस मंगा देंगे। इसके बदले तुम्हे 12 लाख पचास हजार रूपये और देने होगे। प्रार्थीगण ने अपने पुत्र उमर खाँ व अजीम सैफी को जिन्दा बचाने की नीयत से प्रार्थीगण ने इन्तेजार सैफी को प्रार्थी छम्मन ख के घर पर नगद् 3 लाख 50 हजार रूपये फहीम, आरिफ, तहसीन, शाहनवाज आदि के सामने बिये जिसकी वीडीओ प्रार्थीगण के पास मोजूद है। तथा इन्तेजार सैफी के कहे अनुसार श्रीमति सदफ जंहा का एकाउन्ट मे 50 हजार रूपये व मौमिन के एकाउन्ट मे 50 हजार रूपये ट्रांसफर किये तथा 16 हजार रूपये इन्तेजार को ऑनलाईन ट्रासफर किये व 8500 रूपये इमरान सैफी को ट्रासफर किये तथा रूबरू गवाहान 7 लाख पिछत्तर हजार पाच सौ रूपया नकद दिये। रूबरू गवाहान ऑनलाईन रिकोर्ड व वी0डी0ओ के साथ टोटल 15 लाख 10 हजार रूपये दिये जिसका रिकोर्ड प्रार्थीगण के पास मोजूद है। उसके बाद इमरान सैफी अपने अन्य गैंग के साथियों के साथ कम्बोडिया भाग गया था इमरान सैफी ने कम्बोडिया में रहते हुए प्रार्थीगण को वाटस्अप कल रिकोर्डिंग

करके खुली धमकी दी कि यदि तुमने हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की तो मै अपने गैंग वालो के साथ मिलकर उमर ख व अजीम सैफी को फसवा दूंगा इन्तेजार सैफी ने प्रार्थीगण से कहा कि इन रूपयों का जिक्र मत करना क्योकि मै श्रीमान उपजिलाधिकारी के कार का ड्राईवर हूँ। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई तहरीर आदि दी मै अपने सम्बंध के आधार पर बच जाऊंगा वहा से आने के बाद फर्जी बलात्कार आदि की तहरीर देकर जेल भिजवा दूंगा या किसी बदमाश से मिलकर हत्या करा दूंगा। इस तरह इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी ने हमारे साथ धोखाधडी करके हमारे बच्चो को पाकिस्तानियो को बेचकर हमसे लगभग टोटल 15 लाख 10 हजार रूपये उतारे है। श्रीमान जी इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी के पाकिस्तानियो से सम्बंध है और ये भारत से भोले भाले लडको को अच्छी कम्पनी में बहार भेजने का लालच देकर मानव खुली तस्करी कर रहे है। क्योकि प्रार्थीगण के बच्चो को थाईलेन्ड मे बंधक बनाने वाले पाकिस्तान के नागरिक ही थे। जिनके के पास अवैध हथियार थे। थाईलेन्ड आदि की सबूतों के तोर पर वीडीओ मौजूद है। अब इन्तेजार सैफी व इमरान सैफी जनपद मुजफ्फरनगर में अपने अपने घर पर मौजूद है।

6. अतः अभियोजन कथानक अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र को धोखाधडी करके पाकिस्तानियों को बेचकर 15 लाख 10 हजार रूपये हडपने का आरोप बताया गया है।

आरोपित धाराएं सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं। विवेचनोपरांत मामले में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। वादी मुकदमा व आवेदक/अभियुक्त को एक ही गांव का निवासी बताया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **इमरान सैफी पुत्र स्व. शमशाद सैफी** को अंतर्गत अपराध संख्या–101 सन 2026 धारा–318 (4), 351 (3) भारतीय न्याय संहिता थाना तितावी जिनपद मुजफ्फरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास पचास हजार रूपये की दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

4. यह कि आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करेगा–''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।''

6. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः **17**.07.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर